IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मूलन: चुनौतियाँ और समाधान

Sarla Yadav[1] and Prof. (Dr.) Anushka M. Nayak[2]

Researcher Scholar, LNCT University, Bhopal[1]

Professor & HOD (Guide), School of Legal Studies, LNCT University, Bhopal[2]

सारांश

भ्रष्टाचार भारत में सुशासन, सतत विकास और जन विश्वास की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा है। सरकार और नागरिकों के बीच की कड़ी होने के नाते, लोक प्रशासन को तब काफी नुकसान होता है जब भ्रष्टाचार इसकी प्रक्रियाओं में घुसपैठ कर लेता है। यह शोध पत्र भारत में लोक प्रशासन से भ्रष्टाचार उन्मूलन की चुनौतियों की पड़ताल करता है और प्रभावी समाधान प्रस्तावित करता है। यह शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा प्राप्त करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए न्याय-कानून, वैधानिक ढाँचों, सरकारी पहलों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करता है।

शब्द कुंजी: भ्रष्टाचार, लोक प्रशासन, ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही, भारत, उन्मूलन, चुनौतियाँ।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in

DOI: 10.48175/IJARSCT-28956

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

प्रस्तावना

नीतियों के क्रियान्वयन, सेवाएँ प्रदान करने और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालाँकि, भ्रष्टाचार जनता के विश्वास को कम करके, संसाधनों का गलत आवंटन करके और असमानता को कायम रखकर इसके कामकाज को कमजोर करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (2024) में भारत की रैंकिंग धीमी प्रगति दर्शाती है, जो प्रणालीगत भ्रष्टाचार की जटिलता को दर्शाती है।

यह शोधपत्र पांच मुख्य प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है:

1. लोक प्रशासन से भ्रष्टाचार उन्मूलन में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
2. भारतीय कानूनों, नीतियों और न्यायिक हस्तक्षेपों ने भ्रष्टाचार का समाधान कैसे किया है?
3. क्या राजनीतिक हस्तक्षेप लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है?
4. कौन से समाधान शासन में ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं?
5. क्या लोक प्रशासन में होने वाले भ्रष्टाचार का कारण व्यक्तिगत हित है?

लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार

लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार से तात्पर्य सार्वजनिक पद या अधिकार का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करना है। यह व्यक्तिगत या समूह लाभ के लिए सौंपा गया अधिकार का दुरुपयोग है, जो रिश्वतखोरी, पक्षपात, गबन और संसाधनों के गलत आवंटन जैसे कई रूपों में प्रकट होता है। भ्रष्टाचार वहाँ पनपता है जहाँ विवेकाधिकार अधिक होता है, जवाबदेही कमज़ोर होती है और पारदर्शिता का अभाव होता है।

भ्रष्टाचार की सबसे आम परिभाषा यह है कि इसमें सार्वजनिक पद या अधिकार का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने निजी, व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ के लिए किया जाता है, जो उस पद पर रहकर ऐसा नहीं कर सकता।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण-

लोक प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप, जटिल और अपारदर्शी नौकरशाही, राजनीतिकरण, कम वेतन, जवाबदेही की कमी, पारदर्शिता का अभाव और कमजोर कानून व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा, व्यक्तिगत लालच, नैतिक मूल्यों का पतन और शक्ति का दुरुपयोग भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

भ्रष्टाचार उन्मूलन में चुनौतियाँ -

भ्रष्टाचार के उन्मूलन में मुख्य चुनौतियाँ कानूनी और संस्थागत ढांचे की कमी, राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, सार्वजनिक जागरूकता का स्तर, आर्थिक असमानता, और शक्तिशाली भ्रष्ट तत्वों का प्रभाव हैं। इन चुनौतियों को पार करने के लिए कानूनों का कड़ाई से पालन, जन-जागरूकता बढ़ाना, नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ

राजनीतिक और संस्थागत कमियाँ:

राजनीतिक पारदर्शिता की कमी: कई देशों में राजनीतिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का अभाव भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन:

भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून होने के बावजूद, उनका प्रभावी ढंग से लागू न हो पाना एक बड़ी चुनौती है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

राजस्व का दुरुपयोग :

रिश्वतखोरी और गबन के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी नीतियों को कमजोर करता है।

आर्थिक और सामाजिक कारक:

आर्थिक असमानता: अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई भ्रष्टाचार के जोखिम को बढ़ाती है, क्योंकि यह सत्ता और प्रभाव तक असमान पहुँच को बढ़ावा देता है।

गरीबी और बेरोजगारी:

ये दोनों समस्याएँ भ्रष्टाचार के प्रसार में योगदान करती हैं।

जन जागरूकता की कमी:

लोगों में भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी होती है, जिससे वे इसका विरोध नहीं करते।

व्हिसलब्लोअर सुरक्षा का अभाव:

व्हिसलब्लोअर (भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले) को उचित सुरक्षा न मिलने के कारण लोग आगे आकर जानकारी नहीं दे पाते।

शक्तिशाली भ्रष्ट समूहों का प्रभाव:

कुछ शक्तिशाली हित समूह प्रणालीगत सुधारों को विफल करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। भ्रष्ट तत्वों द्वारा शक्ति के बल पर राज्य के संसाधनों पर कब्ज़ा कर लेने से भ्रष्टाचार विरोधी सुधार असंभव हो जाते हैं।

भ्रष्टाचार उन्मूलन में चुनौतियाँ

1. **संरचनात्मक चुनौतियाँ - जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएँ, अत्यधिक नियमन और लाइसेंसिंग संबंधी समस्याएँ।**

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

2. **संस्थागत चुनौतियाँ** - कमज़ोर प्रवर्तन, सतर्कता संस्थानों की स्वतंत्रता का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप।

3. **सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियाँ** - भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकृति, कम जागरूकता।

4. **तकनीकी चुनौतियाँ** - मैनुअल अपारदर्शी प्रणालियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस का अभाव।

5. **कानूनी और न्यायिक चुनौतियाँ** - लंबे मुकदमे, कम दोषसिद्धि दर, गवाह सुरक्षा का अभाव।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय -

1. **विनीत नारायण बनाम भारत संघ** (1997) - जाँच एजेंसियों की स्वतंत्रता, सीवीसी की स्थापना।

2. **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह** (2012) - पीसीए के तहत अभियोजन की समय पर मंजूरी।

3. **मनोज नरूला बनाम भारत संघ** (2014) - आपराधिक रिकॉर्ड वाले मंत्रियों की अयोग्यता।

न्यायिक दृष्टिकोण

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:

न्यायालयों ने इस अधिनियम को मजबूत करने और लोक सेवकों की जवाबदेही तय करने के लिए महत्वपूर्ण माना है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति:

सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 **में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए लोकपाल के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगा दी, और न्यायपालिका में नियुक्तियों के संबंध में सुधारों पर जनता के सुझावों को शामिल करने का सुझाव दिया।**

संसद के सदस्यों को जवाबदेह ठहराना:

2013 **में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ने सांसदों और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की स्थापना की। हालांकि, न्यायाधीशों को अपवर्जित किया गया।**

कानून का क्रियान्वयन:

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम के तहत रिश्वत देने वाले को भी अपराध घोषित कर त्वरित सुनवाई का आदेश दिया है।

अन्य प्रासंगिक निर्णय

डिजिटल इंडिया पहल:

न्यायालयों ने पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और ई-गवर्नेंस जैसी डिजिटल पहलों का समर्थन किया है।

बेनामी लेन-देन:

न्यायालयों ने बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 को लागू करने और अघोषित संपत्तियों को लक्षित करने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका को स्वीकार किया है।

कानूनी और संस्थागत तंत्र:

न्यायालयों ने भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम जैसे विभिन्न तंत्रों की भूमिका को मान्यता दी है।

सरकारी पहल

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस
- व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014

भ्रष्टाचार उन्मूलन के समाधान

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

1. **कानूनी ढाँचे को मजबूत करना** - पीसीए प्रवर्तन, फास्ट-ट्रैक अदालतें, व्हिसलब्लोअर संरक्षण।

2. **संस्थागत सुधार** - सीवीसी, सीबीआई और लोकपाल की स्वतंत्रता, सीएजी द्वारा निष्पादन लेखा परीक्षा।

3. **प्रशासनिक सुधार** - प्रक्रियाओं का सरलीकरण, योग्यता-आधारित भर्ती, परिसंपत्ति प्रकटीकरण।

4. **तकनीकी हस्तक्षेप** - ई-गवर्नेंस, ब्लॉकचेन, एआई निगरानी।

5. **जन भागीदारी** - सामाजिक लेखा परीक्षा, जागरूकता अभियान, नागरिक समाज निगरानी।

अन्य देशों से तुलनात्मक अंतर्दृष्टि

सिंगापुर - मज़बूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून, सख्त प्रवर्तन, उच्च सरकारी वेतन।

हांगकांग - स्वतंत्र आईसीएसी, जाँच और सार्वजनिक शिक्षा की भूमिकाएँ।

भारत सामाजिक - राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इन मॉडलों को अपना सकता है।

निष्कर्ष

लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार भारत के लोकतांत्रिक शासन और विकास के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। हालाँकि, इसे बहुआयामी रणनीति के माध्यम से काफी हद तक कम किया जा सकता है: कानूनों को मजबूत करना, संस्थानों को सशक्त बनाना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना। सरकार, न्यायपालिका, नागरिक समाज और नागरिकों के बीच प्रभावी सहयोग एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली को साकार करने की कुंजी है।

संदर्भ

1. **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम**, 1988 (**संशोधित** 2018)

2. **लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम**, 2013

3. **सूचना का अधिकार अधिनियम**, 2005

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, September 2025
Impact Factor: 7.67

4. **विनीत नारायण बनाम भारत संघ**, **एआईआर** 1998 **एससी** 889

5. **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह**, (2012) 3 **एससीसी** 64

6. **मनोज नरूला बनाम भारत संघ**, (2014) 9 **एससीसी** 1

7. **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल**, **भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक** (2024)